

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सिवान
पत्रांक- 217./सिवान, दिनांक- 23.02.2024
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in)
आमंत्रण सूचना सं०-02/2023-24 दिनांक 23.02.2024

1. कार्य का विवरण :-

क्रमांक/ युप सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)	अग्रघन की राशि (लाख रु० में) (ऑन लाईन अथवा फिजिकल / मैनुअल मोड में भुगतये)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) रु० में	बेल्ड्रॉन को देय "बिड प्रोसेसिंग फी" (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि
1	7 नं० गोगरा तटबंध के कि०मी० 3.600 पर ग्राम- सुनहौला के समीप 4 भेंट एन्टी फ्लड रूईस का मरम्मत कार्य। (एजेण्डा सं० 211/130/2024)	57.20	1.15	10000	590	15.05.2024
2	झरही नदी के बाँया तटबंध के कि०मी० 6.5 पर ग्राम सदलपुर के समीप स्थित पुराने A.F.S. को Demolishing करते हुए नये A.F.S. का निर्माण कार्य। (एजेण्डा सं० 211/141/2024)	131.85	2.64	10000	3540	15.05.2024
3	7 नं० गोगरा तटबंध के कि०मी० 24.760 से कि०मी० 24.910 के बीच ग्राम- कुजराटोली (दरौली) के समीप कटाव निरोधक कार्य। (एजेण्डा सं० 211/133/2024)	47.89	0.96	5000	590	15.05.2024

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि : दिनांक - 23.02.2024
3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि : दिनांक 05.03.2024 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 11.03.2024 के 3.00 बजे अपराह्न तक (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
4. प्री-बिड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि : दिनांक-07.03.2024 को 01.00 बजे पूर्वाह्न में, मुख्य अभियंता का कार्यालय, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपालगंज।
5. निविदा कागजात अपलोड करने की अंतिम तिथि : दिनांक 11.03.2024 3 बजे अपराह्न तक।(सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 11.03.2024 समय 3:30 बजे अपराह्न (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in)
7. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी (सिर्फ वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर)
8. निविदा खोलने का स्थान : www.eproc2.bihar.gov.in पर
9. निविदा की वैधता अवधि : निविदा प्राप्ति के 120 दिन बाद तक।
10. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सिवान।
मोबाइल नं० 7463889615

अमा

do

11. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in एवं www.wrd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
12. निविदा में भाग लेने वाले संवेदक, जल संसाधन विभाग, बिहार के समुचित श्रेणी में निबंधित हो, निविदा में भाग ले सकते हैं।
13. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकित हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
14. ई- निविदा मात्र वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।
15. (क) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बिड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायगा) का भुगतान online mode (e-Payment mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
(ख) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online mode (e-Payment mode) में स्वीकार्य होगा।
Online mode के तहत अग्रधन राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
Physical mode/ Manual Payment System के तहत अग्रधन की राशि मात्र बिना शर्त वाली बैंक गारन्टी (विभागीय पत्रांक 385 दिनांक 26.08.2020 के आलोक में) (asper the format in SBD) जो बिड के मान्य अवधि एवं 45 दिनों (120 दिन + 45 दिन = 165 दिन) तक के लिए बिहार अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/ अनुसूचित बैंक से कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, सिवान के पक्ष में निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा। विभागीय पत्रांक 88 दिनांक 29.01.2024 के आलोक में (i) निविदा से संबंधित सभी कागजात केवल Online के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। निविदा में भाग लेने हेतु किसी भी कागजात की हॉर्ड कॉपी जमा करना आवश्यक नहीं होगा। (ii) अग्रधन की राशि Online Payment या बैंक गारन्टी द्वारा स्वीकार किया जायेगा। निविदा में सफल निविदाकार को सभी आवश्यक कागजात जैसे सभी शपथ-पत्र (मूल में), बैंक गारन्टी (मूल में), एकरारनामा के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
(ग) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date & time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
(घ) "BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode".
(ड) Eproc-2 portal पर निविदा हेतु विभागीय पत्रांक 385 दिनांक 26.08.2020 एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार का पत्रांक 752 दिनांक 21.08.2020 द्वारा निर्गत संकल्प-सह-ज्ञापांक पूर्णतः लागू होगा।
16. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात अग्रधन की राशि/ सभी प्रमाण पत्र/ शपथ-पत्र, जो निविदा के लिए आवश्यक है, को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
17. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/ विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/ पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही Upload किये जाएं, अन्य Format में upload documents के Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
19. संवेदक स्कैन पर अपलोड किए गये कागजातों की Download ability/ visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।

अमा
2

dr

- 20 इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु वीड को अपलोड कर लें।
- 21 संवेदक के विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निगार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु एवं नियमानुसार जी.एस.टी. की कटौती की जायेगी। विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश के आलोक में रॉयल्टी एवं अन्य करों की कटौती विपत्र से की जाएगी।
- 22 जल संसाधन विभाग के विभागीय निर्देशानुसार
क. बाढ़ अवधि 2024 में कार्यों के कार्यस्थल पर कटाव की स्थिति में कटाव को नियंत्रित करने/स्थल के सुरक्षार्थ बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करने की जिम्मेवारी उक्त कार्य के संवेदक की होगी।
ख. बाढ़ अवधि 2024 में बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों हेतु संबंधित मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता के निदेशानुसार विभिन्न स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों यथा बालू, फिल्टर मटेरियल, (ई०सी० बैग, जियो बैग, मेगा जियो बैग इत्यादि) में बालू भरने तथा इसके भंडारण किये जाने की जिम्मेवारी उक्त कार्य के संवेदक की होगी।
निविदा समर्पित करते समय संवेदक द्वारा उक्त कड़िका क एवं ख के कार्य को करने पर सहमति संबंधी शपथ-पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 23 रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) की कटौती कार्य की वास्तविक मात्रा में लगे खनिज के आधार पर आपूर्तिकर्ता/कार्य संवेदको के विपत्र से समय-समय पर खनन एवं भू-तत्व विभाग, बिहार सरकार एवं जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन प्रपत्रों के आलोक में काटी जायेगी।
- 24 विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु ई-टेन्डरिंग सेल, कम्प्यूटर सेल, सिंचाई भवन पटना (0612-2235241) एवं सहायता कक्ष (Help Desk) से दूरभाष संख्या- +917605084942 एवं 18005726571 (Toll free) पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- 25 निविदादाता द्वारा न्यूनतम दर उद्धृत करने के संबंध में पथ निर्माण विभाग, पटना का पत्रांक 4439(E) दिनांक 17.07.2023 एवं जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक 536 दिनांक 18.07.2023 के आलोक में C.W.J.C. No. 9941/2022 में दिनांक 06.07.2023 को पारित आदेश का अनुपालन अनिवार्य होगा।
- 26 निविदित दर Serious unbalanced rate होने की स्थिति में, Additional Performance Guarantee पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 447(s) दिनांक 16.01.2020., letter no. 448(s) दिनांक 16.01.2020 – letter no. 449(s) दिनांक 16.01.2020 के अनुसार जमा करना होगा।
- 27 कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।
- 28 जल संसाधन विभाग का पत्रांक 686 दिनांक 19.08.2014 (इस सन्दर्भ में पथ निर्माण विभाग बिहार पटना का पत्रांक 6158 (एस) दिनांक 09.07.2014 अनुलग्नक सहित) लागू होगा। एवं इसमें प्रावधानित निम्नलिखित शपथ-पत्र निविदा के साथ जमा करना आवश्यक होगा:-
"I, the undersigned, do hereby certify that all the statement made in the required attachment are true and correct and if found fake/forged, the undersigned will be liable to be for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing."
- 29 चरित्र सत्यापन के अनिवार्यता के संबंध में विभागीय पत्रांक 124 दिनांक 04.02.2021 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
- 30 मजदूरी अनुज्ञप्ति (Labour license) के आलोक में श्रम संसाधन विभाग का पत्रांक 881 दिनांक 08.03.2016 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
- 31 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 32 तकनीकी निविदा पूरी करने की न्यूनतम अहता निम्न प्रकार होगी :-
1. निविदादाता को जल संसाधन विभाग में समूचित श्रेणी में निबंधित होना चाहिए।
2. पर्याप्त अग्रधन की राशि जमा होनी चाहिए।

अन्त

dk

3. शपथ पत्र क्रमांक 22 एवं 29 के अनुसार दिया जाना चाहिए।
4. कार्य से संबंधित आवश्यक न्यूनतम यत्र-संयत्र स्वयं/किराया सहित प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य है।
5. प्राक्कलित राशि के मूल्य का न्यूनतम 10 प्रतिशत, सदृश कार्य का पूर्ण करने का कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

- 33 यह कार्य आपदा से संबंधित कार्य है। उक्त कार्य के कार्यान्वयन हेतु अवधि समित रहने के कारण एवं कार्यों के स-समय पूर्ण करने के उद्देश्य से उक्त कार्यों से संबंधित यदि कोई वित्तीय बोली (Financial Bid) एकल होता है तो पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3162 (एस) दिनांक 09.05.2016 के आलोक में एकल निविदा को निस्तार करने हेतु विभागीय अनुमोदन प्राप्त है।
- 34 संवेदक निविदा अपलोड करने से पहले कार्य स्थल निरीक्षण कर कार्य से अवगत हो लें। बाद में कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- 35 तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
- 36 जल संसाधन विभाग का पत्रांक-686 दिनांक-19.08.2014 पत्रांक-200, 201, 202 दिनांक 14.03.16 एवं पत्रांक 274 दिनांक 18.04.16 में दिये गये शर्तों का एवं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 37 जल संसाधन विभाग के पत्रांक 152 दिनांक 15.02.2024 के आलोक में निविदादाता द्वारा निविदा हेतु संलग्न Chartered Accountants के Audit Reports एवं Chartered Accountants के द्वारा तैयार किये गये किसी भी प्रकार के अन्य दस्तावेजों में Unique Documents Indetification Number (UDIN) अंकित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक दस्तावेज का UDIN अलग-अलग होगा। The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) के website(Link-udin.icai.org) से प्रत्येक दस्तावेजों का UDIN की जाँच किया जा सकता है। जल संसाधन विभाग का पत्रांक 152 दिनांक 15.02.2024 का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा आमाम्य किया जायेगा।

[Signature]
23/02/2024

कार्यपालक अभियंता
आ.प्र.नि. नियंत्रण प्रमंडल, सिवान

[Signature]
23/02/24

सिवान / दिनांक 23.02.2024

पत्रांक- 217

प्रतिलिपि जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को दो प्रतियों में सी.डी. के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Signature]
23/02/2024

कार्यपालक अभियंता

आ.प्र.नि. नियंत्रण प्रमंडल, सिवान।